न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2016 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 20.05.2016
G.C.M.S. NO. :_ 2016/00031

वजीर मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मंसूरी, उम्र वयस्क, निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–श्रीमति उल्फत बेगम पत्नि लियाकत हुसैन, जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्रीमति फरिदा बेगम पत्नि मुस्तकीम जाति मुसलमान, उम्र वयस्क, निवासी बडीसादडी, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–ग्राम पंचायत डूंगला, तहसील डूंगला, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध आवासीय विक्रय विलेख पट्टा दिनांक 13.08.1991 ग्राम पंचायत डूंगला, पंचायत समिति डूंगला

उपस्थिति : 1–श्री मदन त्रिपाठी, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री मनोहर लाल दक, अधिवक्ता गैर निगराकार सं. 1 व 2

प्रकरण संख्या 10/2016 (नि.पं.)
वजीर मोहम्मद निवासी डूंगला बनाम उल्फत बेगम निवासी डूंगला वगैरा

निर्णय

दिनांक 16.06.2022

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी आवासीय भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 13.08.1991 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व कोइ प्रस्ताव नहीं लिया गया, ना ही विपक्षी संख्या 1 से कोई आवेदन लिया गया और ना ही मौके पर निरीक्षण किया तथा ना ही आपत्ति नोटिस जारी किया। विपक्षी संख्या 1 तत्कालीन सरपंच के निकट मिलने वाला होने से उसे अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से पट्टा जारी किया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.08.1991 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत डूंगला ने अपने पत्रांक/ग्रा.पं./205-16/15 दिनांक 19.05.2016 से पट्टे से संबंधित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया। गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर लाल दक ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, डूंगला ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। उक्त भूखण्ड पर निगराकार उसके बाप-दादाओं के समय से काबिज हो उसका उपयोग-उपभोग कर रहा है। उक्त भूखण्ड पर वर्तमान में निगराकार के पत्थर पडे हुए हैं तथा निगराकार अपने पशुओं तथा कृषि उपज को रखने के लिए उसका उपयोग-उपभोग कर रहा है तत्कालीन सरपंच ने विपक्षी संख्या 1 उसके निकट मिलने वाला होने से बिना किसी प्रक्रिया का पालन करते हुए विपक्षी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त पट्टा जारी किया है जिस पर सचिव के हस्ताक्षर ही नहीं है। निगराकार द्वारा पट्टा हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.11.2011 को कोरम बैठक में पत्रावली का निस्तारण कर राशि 3510/-रू. जमा कर उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को दिया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, विपक्षी से

आवेदन भी नहीं लिया गया ना ही मौके का निरीक्षण किया तथा ना ही आपत्तियां आमंत्रित करने बाबत् कोई नोटिस जारी किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् कोई पत्रावली भी कायम नहीं की गई तथा सभी नियमों की अनदेखी कर विपक्षी संख्या 1 को गुपचुप तरीके से पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। उक्त पट्टा दिनांक 13.08.1991 जारी करने की जानकारी निगराकार को नही थी। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा निगराकार के भूखण्ड पर कब्जा करने का प्रयास करने पर जानकारी हुई। ग्राम पचांयत में उक्त पट्टे की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा अपने पत्रांक 121 दिनांक 15.01.2016 से उक्त पट्टे बाबत कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी जिस पर बिना किसी देरी के यह निगरानी प्रस्तुत है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.08.1991 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आवासीय भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 13.08.1991 पंचायती राज नियमों की पालना कर जारी किया है जिससे पट्टा पूर्णतया विधि-सम्मत् है। उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 1 को तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी नहीं किया गया है बल्कि ग्राम पंचायत के प्रशासक (सचिव) द्वारा विधि व कानून सम्मत् जारी किया गया है जिस समय पट्टा जारी किया है उस समय सरपंच नहीं होकर ग्राम पंचायतों में सचिव ही प्रशासक लगे हुए थे जिनके द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 1 पट्टा आवंटन के समय निः शुल्क आवंटन की पात्रता रखती थी इसलिए बिना किसी राशि के विपक्षी संख्या 1 को निः शुल्क पट्टा जारी किया गया है तथा निः शुल्क जारी किए हुए पट्टों हेतु यह आवश्यक नहीं की हर पट्टे की अलग-अलग मिसल कायम की हो एक मिसल कायम कर लिस्ट के द्वारा भी पट्टे जारी किये जा सकते हैं। निगराकार का उक्त पट्टे वाले भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि उक्त भूखण्ड प्रारम्भ से ही विपक्षी संख्या 1 के कब्जे मे रहा है। निगराकार ने उक्त पट्टा जारी होने के 25 वर्षों बाद उक्त निगरानी प्रस्तुत की है जो कि असाधारण विलम्ब के बाद प्रस्तुत की है। जिससे निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत डूंगला द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने का कथन किया है इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि तत्कालीन समय मे उक्त पट्टा जारी ही नही किया हो तथा कोई पत्रावली ही कायम नहीं की गई हो। निगराकार ने उक्त पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से पट्टा फर्जी होने का कथन किया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध पट्टे की प्रति का अवलोकन

करने पर स्पष्ट है कि उस पर प्रकाशक एवं सचिव ग्राम पंचायत, डूंगला की मोहर अंकित होकर उस पर प्रशासक एवं सचिव के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

जहां तक अधिवक्ता निगराकार का कथन है कि उक्त भूखण्ड पर निगराकार का उसके बाप-दादाओं के समय से कब्जा है तथा उक्त भूखण्ड का उपयोग वह अपनी कृषि उपज रखने तथा पशुओं को रखने के लिए करता है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि निगराकार अथवा उसके अधिवक्ता ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टे वाले भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही अधिवक्ता निगराकार यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को गलत तरीके से अथवा अवैध पट्टा जारी किया गया हो तथा अपनी निगरानी में वर्णित/अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

यद्यपि निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है किन्तु निगराकार ने उक्त निगरानी पट्टा जारी होने के 25 वर्षों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत की है जो कि असाधारण विलम्ब की श्रेणी में आता है तथा उक्त निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुए इस असामान्य विलम्ब को किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता लिहाजा इतने वर्षों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत निगरानी के आधार पर हम उक्त पट्टा खारिज करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा दिनांक 13.08.1991 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)